

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./09/2018/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- |                                 |      |                                     |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1. हीरालाल पुत्र मगा उर्फ मगदास | बनाम | 1. लुंमदास पुत्र मगा उर्फ मगदास     |
| 2. धनराज पुत्र मगा उर्फ मगदास   |      | 2. छगनलाल पुत्र मगा उर्फ मगदास      |
| जाति साध निवासी बुढातला         |      | 3. किस्तुरचन्द पुत्र मगा उर्फ मगदास |
| तहसील शिव जिला बाड़मेर।         |      | जाति साध निवासी बुढातला तहसील       |
|                                 |      | शिव जिला बाड़मेर।                   |
|                                 |      | 4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार    |
|                                 |      | एवं पदेन उप पंजीयक शिव।             |

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./10/2018/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- |                                 |      |                                     |
|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1. हीरालाल पुत्र मगा उर्फ मगदास | बनाम | 1. लुंमदास पुत्र मगा उर्फ मगदास     |
| 2. धनराज पुत्र मगा उर्फ मगदास   |      | 2. छगनलाल पुत्र मगा उर्फ मगदास      |
| जाति साध निवासी बुढातला         |      | 3. किस्तुरचन्द पुत्र मगा उर्फ मगदास |
| तहसील शिव जिला बाड़मेर।         |      | जाति साध निवासी बुढातला तहसील       |
|                                 |      | शिव जिला बाड़मेर।                   |
|                                 |      | 4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार    |
|                                 |      | एवं पदेन उप पंजीयक शिव।             |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर शिव के राजस्व वाद संख्या 54/2017 बअनवान लुंमदास बनाम हीरालाल वगै. निर्णय दिनांक 16.06.2017 व 10.07.2017 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री अमृतलाल जैन रेस्पोंडेंट संख्या 01 की रेस्पोंडेंट की ओर से।



निर्णय

दिनांक- 15.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी/उतरदाता संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 (अपीलांतगण व उतरदाता संख्या 2 व 3) का पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1257/311 रकबा 38.08 बीघा का ग्राम बुढातला पटवार मण्डल घोघारा तहसील शिव जिला बाड़मेर आया हुआ है। उक्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा है। इसी हिस्सा मुजब पक्षकारान मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांतगण के नाम से सम्मन जारी किये गये परन्तु

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

अपीलांटगण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। न ही अपनी ओर से वकील नियुक्त किया गया। अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर माफिक कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार शिव ने विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय बिना मौके पर आये तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटगण को सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर अपीन आपति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांटगण को सूचित किया गया। जिससे अपीलांटगण के हितों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि की मंशा के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दिनांक 09.04.2019 को अधिवक्ता अपीलांट ने आवेदन अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 सहपठित धारा 151 सी पी सी वास्ते तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत पेश किया जिस पर उसी रोज न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थी चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय में इसके लिए आवेदन कर दे परन्तु न्यायालय हाजा में मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में कोई समुचित कारण विद्यमान नहीं हैं। प्रार्थी इसका आधिकार्य सिद्ध नहीं कर पाया है। यह आवेदन अपील मीमों में उठाए एतराजात से प्रकटम भिन्न एवं नये बिंदुओं को अंकित करके प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, विभाजन प्रस्ताव, उसमें रेस्पोंडेंट संख्या 01 के हिस्से में पृथक की गई भूमि का रकबा इत्यादि के अनुरूप नहीं होकर कपोल कल्पित एवं तथ्यों से परे होने से मान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर माफिक कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार शिव ने विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय बिना मौके पर आये तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव




राजस्व अपील प्राधिकारी  
जायपुर

तैयार करने से पूर्व अपीलान्तरण को सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्तरण को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलान्तरण को सूचित किया गया। जिससे अपीलान्तरण के हितों पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह बंटवारा **By Metes & Bounds** सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त के विपरित है। अतः अपीलान्तरण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रैस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय **By Metes & Bounds** किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलान्तरण की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलान्तरण ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्तरण को हस्तगत वाद का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ जिस कारण अपीलान्तरण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलान्तरण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2017 को अपीलान्तरण निर्णय एवं डिक्री जारी की गई। उतरदाता संख्या 01 के द्वारा नेखमबंदी का प्रकरण पेश किया गया। जिस पर अपीलान्तरण के द्वारा राजस्व रेकार्ड की जांच करवाई गई तब सर्वप्रथम विभाजन की जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्तरण के द्वारा दिनांक 11.01.2018 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकले मांगी गई जो दिनांक 22.01.2018 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सदभाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


वकील रैस्पोंडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्तरण द्वारा पेश अपील मियाद बाहर है जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील को पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। इसलिए अपीलान्तरण की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाडमेर

अधिवक्ता अपीलान्त की धारा 05 लिमिटेसन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी पांच सगे भाईयों की अभिलिखित खातेदारी भूमि है जिसमें प्रत्येक का 1/5-1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह हक-हिस्सा निर्विवादित है। हक-हिस्से को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 16.06.2017 में निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाए जाने से अपील अपीलान्त स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्राथमिक डिक्री को यथावत रखा जाता है। इस प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके पर से बाकायदा तहसीलदार शिव ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जो पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 07.07.2017 से प्रमाणित है। इस फर्द में अंकित है कि तहसीलदार ने उभयपक्ष को तलब कर बुलाया और उभयपक्ष की उपस्थिति में रूबरू मोतबिरान मौका निरीक्षण किया। माफिक कब्जा काश्त ढाणियों एवं ट्यूबवेलों काई मीट्स एण्ड बाउण्ड प्रस्ताव मय नक्शा तैयार किया। इस विभाजन प्रस्ताव में कानून कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती। यह बंटवाडा राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 के अंतर्गत निर्दिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए अपीलान्त द्वारा उठाई गई आपतियां सिरे से खारिज की जाती है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2017 बअनवान लुभदास बनाम हीरालाल वगै. निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 व 10.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

  
15/5/19  
(नखतदान धरहठ)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/19  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर